"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 536] रायपुर, शनिवार, दिनांक 28 नवम्बर 2015— अग्रहायण 7, शक 1937

गृह विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-65/दो/गृह-सी/2015. — विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 45 की उप-धारा (2) सहपठित विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) (अनुशंसा एवं अभियोजन की स्वीकृति) नियम, 2008 के अनुसरण में तथा पूर्व के आदेश क्र. एफ-4-202/गृह-सी/11, दिनांक 29 नवम्बर, 2011 को अतिष्ठित करते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग को, उक्त धारा के अधीन अभियोजन की स्वीकृति के मामले में, विवेचना में संकलित साक्ष्य की स्वतंत्र समीक्षा करने और विहित समयावधि में अनुशंसा करने हेतु, समीक्षक प्राधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार ध्रुर्वे, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2015

क्रमांक एफ 4-65/दो/गृह-सी/2015. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-11-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार ध्रुर्वे, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 28th November 2015

NOTIFICATION

No. F-4-65/2/Home-C/2015. — In pursuance of sub-section (2) of Section 45 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (No. 37 of 1967) read with rule 3 of the Unlawful Activities (Prevention) (Recommendation and Sanction of Prosecution) Rules, 2008 and in supersession of the previous Order No. F-4-202/Home-C/11, dated 29th November, 2011, the State Government, hereby, appoints the Additional Secretary, Government of Chhattisgarh, Law and Legislative Affairs Department to act as the reviewing authority in order to make an independent review of evidence gathered in course of investigation and to make a recommendation within prescribed time in the matter of sanction of prosecution under said Section.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIJAY KUMAR DHURVE, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.